बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर के वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रुपये 1000/– (एक हजार रु0) मात्र प्रति माह में रुपये 2000/– की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/– (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक के रूप में किये जाने की स्वीकृति ।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्त्ताओ एव आशा फैसिलीटेटरो की राज्य के स्वास्थ्य सुविधाओ के उन्नयन मे अहम भूमिका है। आशा कार्यकर्त्ताएँ विशेष रूप से गरीब गर्भवती एव धातृ महिलाओ को जॉच, परामर्श और संस्थागत प्रसव तथा परिवार नियोजन एव अन्य समविषयक कार्यो मे मदद करती है। उनके प्रयासो के फलस्वरूप संस्थागत सुरक्षित प्रसव मे वृद्धि के साथ–साथ शिशु मृत्यु दर में भी कमी आयी है।

2– स्वास्थ्य विभाग के सकल्प ज्ञापाक–789(12) दिनाक–09.08.2019 द्वारा आशा कार्यकत्ताओ एव आशा फैसिलीटेटरों के लिए 1000 रू० प्रतिमाह पारितोषिक हेतु पूर्व से निम्नाकित छ चिन्हित कार्य है, जिसमे कम से कम चार कार्यो को अनिवार्य रूप से किया जाना है –

क्र0सं0	कार्यक्रम	कार्य
1	प्रतिरक्षण	Due list अद्यतन कर 90% लक्षित बच्चों का Full Immunization कराने पर।
2	शिशु स्वास्थ्य	NBNC के अतर्गत 60% बच्चो का दिशा निर्देश के अनुरूप पूर्ण सख्या मे गृह भ्रमण करने पर। (संस्थागत प्रसव मे छ बार एवं घर होने वाले प्रसव में सात बार गृह भ्रमण किया जाता है)
3	मातृ स्वास्थ्य	सभी गर्भवती माताओं का Line listing एव 60% गर्भवती माताओ का चार प्रसवपूर्व जॉच (ANC) कराने पर।
4	मातृ स्वास्थ्य	60% गर्भवती माताओ का संस्थागत प्रसव कराने पर।
5	परिवार नियोजन	प्रत्येक माह अतरा का एक Dose दिलवाये जाने पर।
6	आशा कार्यक्रम	प्रत्येक माह आशा दिवस मे भाग लेने पर।

3– आशा कार्यकत्ताओ एव आशा फैसिलीटेटरो की कार्य की महत्व को देखते हुए कार्यहित मे विभागीय स्तर से विचारोपरात यह अपेक्षित पाया गया है कि इनके वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रुपये 1000/– (एक हजार रु0) मात्र प्रति माह मे रुपये 2000/– की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/– (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक के रुप मे किया जाना है

4– वर्तमान मे [illegible] मे कुल 94664 आशा कार्यकर्त्ता एव 4635 आशा फैसिलीटेटर कार्यरत है। जिनका वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रुपये 1000/– (एक हजार रु0) मात्र प्रति माह की दर से वार्षिक व्यय कुल **11921.88** लाख रूपये (एक अरब उन्नीस करोड़ इक्कीस लाख अठठासी हजार रूपये) मात्र प्रति [illegible] केन्द्र [illegible] अतर्गत भुगतान [illegible]

आशा कार्यकर्ताओ एव आशा फैसिलीटेटरो के रुपये 1000/- (एक हजार रु0) मात्र प्रति माह म रुपये 2000/- की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/- (तीन हजार) मात्र राशि को सवर्द्धित करने के उपरान्त उक्त योजना हेतु कुल व्ययभार निम्नवत् आकलित किये गये है –

क्र0	कार्यकर्त्ता	कुल संख्या	वर्तमान पारितोषिक राशि (रु0)	प्रस्तावित पारितोषिक की राशि	अंतर राशि (रु0)	12 माहों के लिए परिगणित राशि (लाख रु0 में)
1	आशा	94664	1000/-	3000/-	2000/-	34079.04 लाख
2	आशा फैसिलीटेटर	4685	1000/-	3000/-	2000/-	1686.60 लाख
	कुल योग	**99349**				**35765.64 लाख**

कुल अनुमानित बजट व्यय = **35765.64 लाख रूपये (रूपये तीन अरब सन्तावन करोड़ पैंसठ लाख चौसठ हजार) मात्र प्रतिवर्ष**

5– उक्त राशि के व्यय का वहन वित्त विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक मे मांग संख्या–20 मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य –101 रोगों का निवारण एव नियत्रण –0114– आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन– विपत्र कोड–20–2210–06–101–0114 अन्तर्गत विषय शीर्ष–28 02–संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत किया जायेगा।

6– विभागीय सकल्प संख्या–789(12) दिनाक–09.08.2019 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7-- उक्त परिप्रेक्ष्य मे स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ता एव आशा फैसिलीटेटर के वर्तमान निर्धारित पारितोषिक रुपये 1000/-- (एक हजार रु0) मात्र प्रति माह में रुपये 2000/– की अतिरिक्त वृद्धि कर कुल रुपये 3000/– (तीन हजार) मात्र प्रतिमाह पारितोषिक के रुप मे किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पूर्व की शेष शर्त्ते यथावत रहेंगी ।

8– इस प्रस्ताव को मत्रिपरिषद्, बिहार सरकार की बैठक दिनाक–05.08.2025 के मद सख्या–33 के रूप मे सम्मिलित एव स्वीकृत किया गया है ।

9– सकल्प प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या--07/प0क0-बजट-33--08/2023--24 के पृ0–/40/टि0 में प्राप्त है ।

10– यह सकल्प निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः– **आदेश** दिया जाता है कि **इस संकल्प** को **बिहार राजपत्र** के असाधारण अंक में **सर्वसाधारण** की जानकारी **हेतु प्रकाशित** किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हिमांशु शर्मा)
सरकार के [illegible]।

ज्ञापांक—07 / प0क0—बजट—33—08 / 2023—24 - 197 (7) **पटना**, दिनांक—06/08/2025

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एव बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना / सबधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मुख्य मत्री सचिवालय / मुख्य सचिव के सचिव / विकास आयुक्त के सचिव / मंत्रिमडल सचिवालय विभाग के आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सरकार के सभी विभाग / स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी / सभी प्रमडलीय आयुक्त / सभी जिलाधिकारी / सभी जिला उप विकास आयुक्त / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं / सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग / संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.8.25

सरकार के अपर सचिव।